

सं. ए-12025/17/2008-प्रशासन-1

भारत सरकार  
योजना आयोग

योजना भवन, संसद मार्ग,  
नई दिल्ली, दिनांक 13 जुलाई, 2009.

सेवा में,

सभी केन्द्र सरकार के विभागों / राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों / विश्वविद्यालय,

विषय :- योजना आयोग में सलाहकार (विकास नीति अनुसंधान) का एक पद पर प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति (जिस में अल्पावधिक अनुबंध शामिल है) / सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि योजना आयोग में रु. 18400-500-22400 अथवा रु.22400-525-24500 के वेतनमानों में से किसी एक पर (जो कि संशोधन के बाद वेतनबैण्ड-4 : रु.37400-67000 +रु.10000/- अथवा रु.12000के ग्रेड पे हो गया है) प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति (जिस में अल्पावधिक अनुबंध शामिल है) / सीधी भर्ती पद्धति द्वारा सलाहकार (विकास नीति अनुसंधान) का एक पद पर भर्ती का प्रस्ताव है । उक्त पद पर चुने गए अभ्यर्थी की नियुक्ति पाँच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इन में से जो भी पहले हो, होगी ।

2. केन्द्र सरकार / राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों / विश्वविद्यालयों / मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं / सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों अथवा अर्ध-सरकाराया सांविधिक या केन्द्र / राज्य सरकारों के अधीन कार्यरत स्वायत्त संगठनों या MÉS® °É®BÉÉÉ®ÉÒ ÉÉxÉBÉÉÉªÉÉâ में कार्यरत अधिकारियों जो अनुबंध में दिए गए शर्तें पूरी करते हैं और पद के लिए आवेदन करते हैं, विचार किये जाने के योग्य हैं ।

3. पद से संबंधित वेतनमान, पात्रता की शर्तें, अर्हताएं एवं अनुभव तथा पद से संबद्ध कार्यों का विवरण अनुलग्नक में दर्शाए गए हैं ।

4. केन्द्र / राज्य सरकारों के मंत्रालयों / विभागों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध है कि इस रिक्ति को अपने अधीन कार्यरत समुचित स्तर के सरकारी उपक्रमों / अर्ध सरकारी / सांविधिक एवं स्वायत्त संगठनों तथा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं में कार्यरत अधिकारियों सहित, सभी अधिकारियों के लिए व्यापक प्रचार करें ।

5. उन अधिकारियों के आवेदनों को जो पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हों और जिन्हें चयन की सूचना की तारीख से एक माह की अवधि के अंतर्गत कार्यग्रहण करने के लिए कार्यमुक्त किया जा सकता हो, उम्मीदवार द्वारा उचित रूप से हस्ताक्षर करवा कर तथा कार्यालय प्रधान या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षर किया गया निर्धारित प्रपत्र (संलग्न है) में, यथा प्रासंगिक, पूर्ण रूप से भरकर निम्नलिखित दस्तावेजों सहित (दो प्रतियों में) अग्रेषित किया जाए :-

- (i) संबंधित उम्मीदवार का अद्यतन गोपनीय रिपोर्ट डोजियर अथवा पिछले पांच वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों की फोटोप्रतियाँ जो कि एक ऐसे अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित की गई हों जो भारत सरकार के अवर सचिव से कम स्तर का ना हों,
- (ii) किसी अधिकारी, जो भारत सरकार के उप सचिव के स्तर से कम न हो, के द्वारा हस्ताक्षर किया गया (निर्धारित प्रपत्र में) सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र,
- (iii) सतर्कता प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रपत्र में) जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक तथा फौजदारी कार्यवाही न तो लंबित है और न ही अपेक्षित है (केवल ऐसे उम्मीदवारों के आवेदन भेजें जो सतर्कता दृष्टि से मुक्त हो) , तथा
- (iv) विगत 10 वर्षों के दौरान उम्मीदवार पर लगाए गए बड़े / छोटे दंडों की सूची, यदि कोई हो अथवा दंड नहीं प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रपत्र में), यथा प्रयोज्य ।

-/-

6. यह रिक्ति रोजगार समाचार में भी शीघ्र ही प्रकाशित की जाएगी। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि रोजगार समाचार में विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 45 दिन होगी।

7. आवेदन कर्ता यह सुनिश्चित करें कि उनका आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में है तथा पूर्णरूप से भरा हुआ हो। प्रपत्र का कोई भी स्तंभ खाली नहीं होना चाहिए। यदि कोई सूचना अप्रयोज्य या शून्य हो तो कृपया इसे स्पष्ट करें। केवल उन्हीं आवेदनों पर विचार किया जाएगा जो संपूर्ण हों और अपेक्षित दस्तावेजों सहित उचित माध्यम द्वारा अंतिम तिथि या उससे पहले इस कार्यालय में प्राप्त हों। अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त अथवा गैर-प्रपत्र अथवा असंपूर्ण अथवा अग्रिम आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

8. इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 2 जनवरी, 2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. एबी-14017/89/2007-स्थापना (आर.आर.) के अनुसार एक बार आवेदन कर चुके अभ्यर्थी पर विचार करने के बाद नियुक्ति के लिए मंत्रीमंडल नियुक्ति समिति द्वारा चयन हो जाने पर यदि उक्त अभ्यर्थी नियुक्ति के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं, तो उस के बाद अपने मूल कैडर के बाहर के पद के लिए उस अभ्यर्थी का कोई आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

भवदीय,

(एस. केशवा ऐय्यर)  
अवर सचिव, भारत सरकार  
दूरभाष : 23096531

सूचनार्थ प्रतिलिपि प्रेषित :

1. उपाध्यक्ष / योजना राज्य मंत्री के निजी सचिव, योजना आयोग
2. सभी सदस्यों के निजी सचिव, योजना आयोग
3. सचिव, योजना आयोग के निजी सचिव
4. सभी प्रभागाध्यक्ष, योजना आयोग
5. सलाहकार (प्रशासन), योजना आयोग
6. सूचना पट्ट

(एस. केशवा ऐय्यर)  
अवर सचिव, भारत सरकार

योजना आयोग में सलाहकार (आर्थिक नीति अनुसंधान) के एक पद को प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति (अल्पावधिक अनुबंध सहित) / सीधी भर्ती द्वारा भरने के लिए वेतनमान, संबद्ध कार्य और पात्रता की शर्तों का ब्यौरा :-

**1. वेतनमान :** 18400-400-22400 रु. अथवा 22400-525-24500 रु.  
(जो कि संशोधन के बाद वेतनबैण्ड-4 : रु.37400-67000 +रु.10000/- अथवा रु.12000के ग्रेड पे हो गया है)  
(नियुक्ति के लिए चयन किए गए अधिकारी की अर्हताएं तथा अनुभव के आधार पर चयन के समय सही-सही वेतनमान का निर्धारण किया जाएगा)

**2. पद से संबद्ध कार्य :**

अल्प-कालिक एवं दीर्घ-कालिक परिप्रेक्ष्य में मुख्य विकास नीति मुद्दों का अध्ययन और विश्लेषण ।

**3. अर्हताएं (अंतिम तिथि के अनुसार) :**

18400-500-22400 रु. के वेतनमान लिए (संशोधन के बाद वेतनबैण्ड-4 : रु.37400-67000 +रु.10000/-)

प्रोन्नति के लिए :

14300-400-18300 रु. के वेतनमान वाले ऐसे विभागीय संयुक्त सलाहकार जिन्होंने उक्त ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद पांच वर्ष की सेवा की हों और मद संख्या 4 में दिए गए शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों ।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए :

1. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों (उनके संबद्ध अधीनस्थ कार्यालयों सहित) या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या लोक उपक्रमों या अर्धसरकारी या कानूनी या स्वशासी संगठनों और अन्य गैर सरकारी निकायों के ऐसे अधिकारी -

(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों, या

(ii) जिन्होंने 16400-450-20000 रु. के वेतनमान वाले पदों पर या समतुल्य पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है, या

(iii) जिन्होंने 14300-400-18300 रु. के वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है, और

(ख) मद संख्या 4 में दिए गए शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों ।

2. ऐसे आचार्य, जिन्होंने 16400-22400 रु. के वेतनमान में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास मद संख्या 4 में दिये गए शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं ।

22400-525-24500 रु. के वेतनमान लिए (संशोधन के बाद वेतनबैण्ड-4 : रु.37400-67000 +रु.12000/-)

प्रोन्नति के लिए :

18400-500-22400 रु. के वेतनमान वाले ऐसे विभागीय सलाहकार जिन्होंने उक्त ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद पांच वर्ष की सेवा की हों और मद संख्या 4 में दिए गए शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों ।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए :

1. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों (उनके संबद्ध अधीनस्थ कार्यालयों सहित) या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या लोक उपक्रमों या अर्धसरकारी या कानूनी या स्वशासी संगठनों और अन्य गैर सरकारी निकायों के ऐसे अधिकारी -
  - (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों, या
  - (ii) जिन्होंने 18400-500-22400 रु. के वेतनमान वाले पदों पर या समतुल्य पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है, और
- (ख) मद संख्या 4 में दिए गए शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों ।

4. पद के लिए निर्धारित अर्हताएं और अनुभव :

**आवश्यक**

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या अर्थमिति या सक्रिय अनुसंधान या कारबार प्रशासन में मास्टर डिग्री ।
- (ii) सैद्धांतिक और अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान और /या अर्थमिति कार्य में समूह 'क' या समतुल्य स्तर पर 18400-500-22400 रूपए के वेतनमान के लिए 15 वर्ष का अनुभव (22400-525-24500 रूपए के वेतनमान के लिए 18 वर्ष का अनुभव) ।
- (iii) सैद्धांतिक और अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र या अर्थमिति कार्य की प्रकाशित प्रतिवेदनों या लेखों या अनुसंधान पत्रों का साक्ष्य ।

**वांछनीय**

- (i) संबंधित विनिर्दिष्ट विषय में डाक्टरेट डिग्री ।
- (ii) नीति विषयक अधिमानतः आर्थिक सिद्धांत या आर्थिक नीति में विशेषज्ञता से संबंधित उच्च स्तरीय अनुसंधान संगठनों में अनुभव ।

5. प्रतिनियुक्ति/ अनुबंध पर नियुक्ति के लिए आयु सीमा (आवेदन प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि को) :

प्रतिनियुक्ति के लिए: 56 वर्ष से अधिक न हों ।

सीधी भर्ती के लिए: 50 वर्ष से अधिक न हों ।

6. प्रतिनियुक्ति / अनुबंध की अवधि :

प्रतिनियुक्ति / अनुबंध की अवधि केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन / विभाग में अथवा किसी संवर्ग बाह्य पद पर इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित, सामान्यतया पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति की शर्तें भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 5 जनवरी, 1994 के समय-समय पर यथा संशोधित कार्यालय ज्ञापन सं.2/29/91-स्था.(पी.2) में निहित आदेशों के अनुसार विनियमित किए जाएंगे तथा अनुबंध पर आने वालों के मामलों में, शर्तें संबद्ध प्राधिकरण के परामर्श से तय की जाएंगी ।

\*\*\*\*\*

**अभ्यर्थियों के आवेदन के साथ संलग्न करने के लिए अपेक्षित प्रमाणपत्रों के प्रपत्र**

**सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग में सलाहकार (विकास नीति अनुसंधान) के पद पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (अल्पावधिक अनुबंध सहित)/ सीधी भर्ती आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर चुके, डा/श्री/श्रीमती/सुश्री \_\_\_\_\_ के वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों की संवीक्षा करने के बाद यह प्रमाणित किया जाता है कि उनकी सत्यनिष्ठा संतोषजनक है ।

(उप सचिव या उससे उच्च स्तर के अधिकारी  
के द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए)  
नाम और कार्यालय की मोहर :  
दिनांक :

**सतर्कता प्रमाण पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग में सलाहकार (विकास नीति अनुसंधान) के पद पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (अल्पावधिक अनुबंध सहित)/ सीधी भर्ती आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर चुके, डा/श्री/श्रीमती/ सुश्री \_\_\_\_\_ के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक तथा फौजदारी कार्यवाही न तो लंबित है और न ही अपेक्षित है ।

(अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)  
नाम और कार्यालय की मोहर :  
दिनांक :

**दंड नहीं प्रमाण पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग में सलाहकार (विकास नीति अनुसंधान) के पद पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (अल्पावधिक अनुबंध सहित)/ सीधी भर्ती आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर चुके डा/श्री/श्रीमती/ सुश्री \_\_\_\_\_ पर पिछले 10 वर्षों के दौरान कोई दंड नहीं लगाया गया ।

(अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)  
नाम और कार्यालय की मोहर :  
दिनांक :

\*\*\*\*\*